

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2024- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 08 अक्टूबर, 2024, जिसे सा.का.नि. 623 (अ) दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के पृष्ठ संख्या 23 पर, क्रम संख्या 5कख के समक्ष, सारणी में, कॉलम (2) में, पंक्ति 21 में "किसी भी संपत्ति" के स्थान पर "किसी भी अचल संपत्ति" पढ़ें।

[फाइल संख्या 190354/149/2024-TO (TRU-II)-Part-I CBEC]

(दिलमिल सिंह सोच)
अवर सचिव, भारत सरकार